विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन

—: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 :—

1.	अपीलीय अधिकारी	—	कुलपति
2.	लोक सूचना अधिकारी	—	कुलसचिव

सामान्य जानकारी

1. सूचना हेतु निर्धारित आवेदन के साथ आवेदन शुल्क (रू. 10/— का गैर न्यायिक स्टाम्प) जमा कर इसे लोक सूचना अधिकारी शाखा कार्यालय में ही जमा करना होगा। आवेदन का निराकरण 30 कार्य दिवस एवं अधिकतम 45 कार्य दिवस में किया जावेगा।
2. अपीलीय आवेदन हेतु आवेदन शुल्क (रू. 50/— का गैर न्यायिक स्टाम्प) जमा कराना होगा।
3. दस्तावेजो की फोटोकापी शुल्क रू. 2/— प्रतिपृष्ठ की दर से विश्वविद्यालय कोष में जमा करना होगा।
4. आदेशानुसार वांछित अभिलेखों का अवलोकन/निरीक्षण हेतु प्रथम घटा रू. 50/— तथा उसके पश्चात रू. 25/— प्रति 15 मिनिट की दर से विश्वविद्यालय कोष में जमा कराना होगा।
5. अवलाकन हेतु प्रत्येक मंगलवार एवं शुक्रवार तथा अवकाश होने पर आगामी कार्यदिवस में दोपहर 12 से 2 बजे तक का समय निर्धारित है।
6. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 में निहित गोपनीय एवं विधिक अभिलेखों के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
7. तृतीय पक्ष की जानकारी चाहने पर संबंधित की सहमति/असहमति के पश्चात निश्चय किया जायेगा।
8. सूचना का अधिकार के अन्तर्गत केवल दस्तावेजों की प्रमाणित छायाप्रतियॉ प्रदान करने का नियम है, किसी प्रकार के प्रश्नों के उत्तर उक्त अधिनियम के अन्तर्गत देय नहीं है।